–:: निर्णय ::–

(आज दिनांकः– 13/08/2026 को घोषित किया गया)

1– अभियुक्त **धर्मेन्द्र पिता पंडरी** के विरूद्ध **धारा– 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है**।

2– अभियुक्त **धर्मेन्द्र पिता पंडरी** को उक्त अपराध की विशिष्टियां समरी शीट पर विरचित कर पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध को स्वैच्छयापूर्वक स्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया। स्वैच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को **धारा–34 (1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के** अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

3– अभियुक्त ने सहज रूप से अपराध स्वीकार किया है। उसका यह प्रथम अपराध है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसें **धारा–34 (1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में** न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 800/– **रूपये अक्षरी** (**आठ सौ रूपये)** के अर्थदंड से दंडित किया गया।

4– अर्थदंड की राशि की अदायगी के व्यतिक्रम में आरोपी को **15** दिन के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जाये।

5– प्रकरण में जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा मे अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–खंडवा (म.प्र.)

THAKUR PRASAD MALVIYA
Digitally signed by THAKUR PRASAD MALVIYA

(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–खंडवा (म.प्र.)